संख्या-27/2016/सा-3-634/दस-2016-301(9)/2011

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त-अनुभाग(सामान्य)3 लखनऊः दिनांक : 12 अगस्त, 2016

विषयः - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नई पेंशन योजना) के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या-सा-379/दस-2005-301(9)-2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा नई पेंशन योजना लागू की गयी है। इस योजना से वह सभी कर्मचारी आच्छादित हैं जो दिनांक 01-04-2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन ऐसी अनुदानित संस्थाओं अथवा स्वायत्तशासी संस्थाओ की सेवा में नियुक्त होते हैं जिनमें दिनांक 01-04-2005 के पूर्व राज्य सरकार के समान पेंशन योजना लागू थी तथा जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं।

2- कई ऐसी संस्थाओं जिनमें दिनांक 01-04-2005 के पूर्व राज्य सरकार के समान पेंशन योजना लागू नही थी तथा उसके स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0) योजना अथवा कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) योजना लागू थी, के कार्मिकों द्वारा इस आशय के प्रत्यावेदन दिये जा रहे है कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

सरकार द्वारा दिनांक 01-04-2005 से पुरानी पेंशन योजना समाप्त की जा चुकी है। ऐसे कार्मिक जो उक्त तिथि के पूर्व से राज्य सरकार की पेंशन योजना से भिन्न किसी अन्य पेंशन योजना अथवा सी०पी०एफ० अथवा ई०पी०एफ० के सदस्य रहे हैं, को दिनांक 01-04-2005 अथवा उनके उपरान्त पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य नही है। ऐसी संस्थायें यदि चाहें तो अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर, सी०पी०एफ० अथवा ई०पी०एफ० योजना समाप्त कर उसके स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नई पेंशन योजना) लागू करने पर विचार कर सकती हैं। इन संस्थाओं के समस्त कार्मिक, चाहे उनकी नियुक्ति दिनांक 01-04-2005 के पूर्व अथवा उसके उपरान्त हुई हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता ग्रहण कर सकेंगे।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

<u>संख्या-27/2016/सा-3-634(1)/दस-2016-301(9)/2001, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/ उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in